

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर-492002

-: अधिसूचना :-

रायपुर दिनांक 21/11/2017

क्रमांक/8645/एफ-8/89/PMFBY/2016/14-2 :: भारत सरकार, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक 13015/03/2016 Credit II नई दिल्ली, दिनांक 23.02.2016 द्वारा दिये गये प्रशासनिक अनुमोदन एवं योजना क्रियान्वयन के जारी दिशा-निर्देशों के प्रकाश में सक्षम अनुमोदन उपरांत राज्य शासन एतद् द्वारा रबी मौसम 2017-18 में प्रदेश के समस्त 27 जिलों में "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना" लागू करती है। योजनान्तर्गत विवरण निम्नानुसार है :-

1 अधिसूचित फसले एवं बीमा ईकाई :-

फसल		बीमा इकाई
मुख्य फसल	चना	ग्राम पंचायत
अन्य फसल	गेहूँ सिंचित, गेहूँ असिंचित, राई-सरसों, अलसी, तिवड़ा, आलू	ग्राम पंचायत

2 अधिसूचित क्षेत्र :-

प्रदेश के सभी 27 जिलों में योजना क्रियान्वित की जायेगी। अधिसूचित जिला, तहसील, राजस्व निरीक्षक मंडल, ग्राम पंचायत एवं इन क्षेत्रों में अधिसूचित फसल का विवरण परिशिष्ट-1 में है।

3 शामिल किये जाने वाले कृषक :-

इस योजना में ऋणी कृषक (भूधारक व बटाईदार) तथा गैर ऋणी कृषक (भूधारक व बटाईदार) भाग ले सकते हैं।

(क) **अनिवार्य आधार पर :-** ऐसे सभी कृषक जिनका रबी वर्ष 2017-18 हेतु अधिसूचित फसल के लिए वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण की सीमा, कृषकों के बीमा आवेदन/प्रस्ताव प्राप्त करने की अंतिम तिथि या उसके पूर्व स्वीकृत/नवीनीकृत की गई हो। एक ही अधिसूचित क्षेत्र एवं अधिसूचित फसल के लिए अलग-अलग वित्तीय संस्थानों से कृषि ऋण स्वीकृत होने की स्थिति में कृषक को एक ही वित्तीय संस्थान से बीमा करवाना होगा।

(ख) **स्वैच्छिक आधार पर :-** अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी गैर ऋणी कृषक जो इस योजना में शामिल होने का इच्छुक हो, वे अनिवार्य दस्तावेज प्रस्तुत कर योजना में सम्मिलित हो सकते हैं।

4 योजना क्रियान्वयन हेतु चयनित बीमा कम्पनी :-

रबी 2016-17 में निविदा के आधार पर चयनित बीमा कंपनियों द्वारा निविदा में उल्लेखित दरो पर ही रबी वर्ष 2017-18 में अधिसूचित क्षेत्रों में फसल बीमा का कार्य संपादन किया जायेगा।

6

कलस्टरवार बीमा कंपनियों को आबंटित जिलों की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	कलस्टर संख्या	जिला	क्रियान्वयन हेतु चयनित बीमा कंपनी
1	1	मुंगेली, कबीरधाम, बालोद, कोरिया, बलरामपुर, कांकेर, रायपुर, बस्तर, महासमुंद	एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड
2	2	बेमेतरा, बलौदाबाजार, जशपुर, बीजापुर, कोरबा, नारायणपुर, जांजगीर, गरियाबंद, दंतेवाड़ा	एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड
3	3	बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, सरगुजा, सुकमा, सुरजपुर, धमतरी, कोण्डागांव, रायगढ़,	बजाज एलायन्ज जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

5 जोखिमों की आच्छादन एवं अपवर्जन :-

- (i) भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मार्गदर्शिका में वर्णित सभी प्रकार के जोखिमों, जो निम्नानुसार है, हेतु बीमा आवरण उपलब्ध होगा -
- (क) **बाधित रोपाईं/रोपण जोखिम** : बीमाकृत क्षेत्र में कम वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसमी दशाओं के कारण बोआई/रोपण क्रिया न होने वाली हानि से सुरक्षा प्रदान करेगा।
- (ख) **खड़ी फसल (बुवाई से कटाई तक)** : गैर बाधित जोखिमों यथा सूखा, शुष्क अवधि, बाढ़, जलप्लावन, कीट एवं व्याधि, भू-स्खलन, प्राकृतिक अग्नि दुर्घटनाओं और आकाशीय बिजली, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, आंधी, समुद्री तूफान, भंवर और बवंडर के कारण फसल को होने वाले नुकसान की सुरक्षा के लिये वृहत जोखिम बीमा दिया जायेगा।
- (ग) **फसल कटाई के उपरांत होने वाले नुकसान** : यह बीमा आच्छादन ऐसी अधिसूचित फसलों के कटाई उपरांत अधिकतम दो सप्ताह (14 दिन) के लिये चक्रवात और चक्रवातीय वर्षा एवं बेमौसमी वर्षा के मामले में दिया जायेगा, जिन्हे फसल कटाई के बाद खेत में सूखने के लिये छोड़ा गया है।
- (घ) **स्थानीयकृत आपदाएं** : अधिसूचित क्षेत्र में पृथक कृषक भूमि को प्रभावित करने वाली ओलावृष्टि, भू-स्खलन और जलभराव के अभिचिन्हित स्थानीयकृत जोखिमों से होने वाले क्षति से सुरक्षा प्रदान करेगा।
- (ii) **सामान्य अपवर्जन** : युद्ध, नाभिकीय जोखिमों से होने वाली हानियों, दुर्भावना-जनित क्षतिओं और अन्य निवारणीय जोखिमों को इसमें शामिल नहीं किया गया है।

6 बीमित राशि :-

ऋणी एवं अऋणी कृषकों के लिये बीमित राशि प्रत्येक जिले में अधिसूचित फसलों हेतु निर्धारित प्रति हेक्टेयर ऋणमान सीमा (Scale of Finance) के बराबर (परिशिष्ट-2) मान्य होगी।

ऋण प्रदाय करने वाली संस्था ऋणी कृषक को "बीमा प्रीमियम राशि" अतिरिक्त ऋण के रूप में प्रदान करेगी।

7 प्रीमियम की गणना एवं अनुदान :-

फसल चना, गेहूँ सिंचित, गेहूँ असिंचित, राई-सरसों, अलसी, तिवड़ा हेतु कृषक द्वारा अधिकतम देय प्रीमियम बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत अथवा वास्तविक प्रीमियम जो भी कम हो तथा फसल आलू के लिये बीमित राशि का अधिकतम 5.0% अथवा वास्तविक प्रीमियम, जो भी कम हो, वहन किया जायेगा। शेष प्रीमियम की राशि 50-50% के अनुपात में क्रमशः केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा अनुदान के रूप में देय होगी। कलस्टरवार/जिलेवार/फसलवार प्रीमियम राशि का विवरण परिशिष्ट-2 पर है।

९

8 क्षति स्तर एवं थ्रेसहोल्ड उपज :-

राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार चना फसल में 90% तथा गेहूँ सिंचित, गेहूँ असिंचित, राई-सरसों, अलसी, तिवड़ा, आलू फसल हेतु 80% क्षति स्तर का निर्धारण किया गया है।

जिलेवार/फसलवार क्षति स्तर पर थ्रेसहोल्ड उपज की जानकारी परिशिष्ट-3 पर है। जिलेवार/फसलवार थ्रेसहोल्ड उपज का निर्धारण ग्राम पंचायतवार किया गया है। यदि किसी ग्राम पंचायत में थ्रेसहोल्ड उपज की जानकारी दर्ज ना हो, तो उक्त ग्राम पंचायत के निकटतम ग्राम पंचायत के उपज के आंकड़े उपयोग किये जावेंगे एवं निकटतम ग्राम पंचायत के उपज आंकड़े उपलब्ध ना हो, तो उपरी ईकाई के उपज आंकड़ा मान्य होगा।

9 विभिन्न गतिविधियों हेतु समय-सीमा का निर्धारण :-

क्र.सं.	गतिविधि	समय-सीमा
1	फसल बीमा पोर्टल पर सभी अपेक्षित सूचना/डाटा की प्रविष्टि	अधिसूचना जारी होने से एक सप्ताह के भीतर
2	ऋणी कृषकों के लिए अनिवार्य आधार पर बीमा आच्छादन हेतु ऋण की अवधि (संस्वीकृत/नवीनीकृत ऋण)	रबी 2017-18 हेतु 31 दिसंबर या उसके पूर्व स्वीकृत/नवीनीकृत ऋण
3	कृषकों (ऋणी एवं अऋणी) से बीमा प्रस्ताव प्राप्त करने/ खाते से प्रीमियम राशि प्राप्ति की अंतिम तिथि	31 दिसंबर
4	पैक्स हेतु जिला सहकारी बैंक, बैंक शाखाओं (सीबी/ आरआरबी), ऋणी एवं अऋणी कृषकों की समेकित घोषणाओं/प्रस्तावों का बीमा कंपनियों को प्राप्त होने के अंतिम तिथि	बीमा आवेदन की अंतिम तिथि के बाद ऋणी कृषकों के लिए 15 दिन के अंदर और अऋणी कृषकों के लिए 7 दिन के अंदर
5	नामित बीमा एजेंटों/मध्यस्थों द्वारा स्वैच्छिक आधार पर बीमित किए गए किसानों के घोषणा पत्र बीमा कंपनियों को प्राप्त होने की अंतिम तिथि	घोषणा/प्रीमियम प्राप्ति के 7 दिन के भीतर
6	संबंधित डीसीसीबी/नोडल बैंकों (सहकारी संस्थाओं के लिए) द्वारा अऋणी एवं ऋणी कृषकों के प्रस्तावों को बीमा कंपनी को प्रेषित करने की अंतिम तिथि	संबंधित नोडल बैंक कार्यालयों द्वारा घोषणाओं की प्राप्ति के 7 दिन के भीतर
7	वाणिज्यिक बैंकों/आरआरबी/पैक्स/मध्यस्थों द्वारा वैयक्तिक बीमाकृत कृषकों के ब्यौरों को फसल बीमा पोर्टल पर अपलोड करना।	कृषकों से प्रीमियम प्राप्ति की अंतिम तिथि से 15 दिनों के भीतर
8	अग्रिम राज्यांश राशि के भुगतान हेतु चयनित बीमा कम्पनी द्वारा संचालक कृषि को बीमा आवरण के आंकड़े सहित प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तिथि	बीमा आवेदन की अंतिम तिथि से एक माह के भीतर
9	बीमा कंपनी द्वारा बीमा आवरण के अंतिम आंकड़े (जिलावार वर्गवार एवं फसलवार) प्रदाय करने की अंतिम तिथि	31 जनवरी
10	भू-अभिलेख द्वारा फसल कटाई प्रयोग हेतु रेण्डर नंबर के आधार पर चयनित कृषक की जानकारी बीमा कंपनी को उपलब्ध कराने की अंतिम तिथि	जनवरी के प्रथम सप्ताह के भीतर
11	आयुक्त भू-अभिलेख द्वारा अधिसूचित फसलों के बीमा इकाईवार क्षेत्राच्छादन क जानकारी बीमा कंपनी को उपलब्ध कराने की अंतिम तिथि	बुआई अवधि से लेकर 2 माह के भीतर
12	फसल कटाई के बाद बीमा कंपनी को उत्पादन आंकड़े प्रदाय करने की अंतिम तिथि	संबंधित फसल की निर्धारित अंतिम फसल कटाई तिथि से 1 माह के भीतर
13	उपज आंकड़ों पर आधारित अंतिम बीमा दावा का संसाधन, अनुमोदन और भुगतान	उपज संबंधी आंकड़े प्राप्त करने की तारीख से 3 सप्ताह के भीतर

टीपः— उपरोक्त समय-सीमा/प्रक्रियाओं/कार्यवाहियों का पालन करने में वित्तीय संस्थाओं/बैंक/बैंकों द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि होने अथवा अंतिम तिथि के उपरांत बीमा प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित संस्था की होगी एवं प्रभावित कृषक/कृषकों को योजनांतर्गत निर्धारित क्षतिपूर्ति के भुगतान की जिम्मेदारी होगी।

10 वित्तीय संस्थाएँ समस्त ऋणी तथा अऋणी आच्छादित कृषकों की सूची जिसमें-कृषक का नाम, पिता/पति का नाम, ग्राम, ग्राम पंचायत, तहसील, जिला, बैंक खाता संख्या, कृषक श्रेणी-लघु एवं सीमांत/अन्य, महिला/पुरुष, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य, आच्छादित रकबा, बीमित राशि एवं कृषक द्वारा देय प्रीमियम का विवरण निश्चित प्रपत्र में घोषणा पत्र के साथ बीमा कम्पनी को हार्ड एवं साफ्ट कॉपी में उपलब्ध करायेगी तथा कृषकवार विवरण फसल बीमा पोर्टल पर बीमा आवेदन की अंतिम तिथि से 15 दिनों के अंदर अपलोड करेंगी। साथ ही राज्य सरकार, बीमा कार्यान्वयक अभिकरण/बैंक सभी जानकारियों एवं आंकड़ों को www.agri-insurance.gov.in में निर्धारित समय सीमा पर इन्द्राज करेंगी।

11 बीमा प्रस्ताव एवं घोषणा पत्र :-

सभी संबंधित सहकारी बैंकों/वाणिज्यिक बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा बीमा प्रस्ताव एवं घोषणा पत्र की दो प्रति तैयार कर एक प्रति बीमा कंपनी को तथा एक प्रति संबंधित कृषक को अनिवार्य रूप से प्रदान करेंगे।

12 दावा गणना :-

दावा गणना आयुक्त, भू-अभिलेख, छ.ग. द्वारा अधिसूचित क्षेत्र एवं अधिसूचित फसलों के लिए निर्धारित अनिवार्य संख्या में किये गये फसल कटाई प्रयोग से प्राप्त औसत उपज के आकड़ों से की जायेगी। शासन या अन्य संस्थाओं द्वारा अनावारी, सूखा, बाढ़ अकाल घोषित होने पर दावा देय नहीं हैं। बीमा इकाई में मुख्य अधिसूचित फसल हेतु 04 एवं अन्य फसलों हेतु 08 फसल कटाई प्रयोग किये जाने होंगे। राज्य शासन को यह अधिकार रहेगा कि विभिन्न कारणों से निर्धारित समय-सीमा से अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित मुख्य अथवा अन्य फसलों के निर्धारित फसल कटाई प्रयोग संपादित कराये जाना संभव नहीं हो सके तो अधिसूचित इकाई से उच्चतर इकाई (पटवारी हल्का/राजस्व निरीक्षक मंडल) में योजना प्रावधान अनुसार निर्धारित संख्या में फसल कटाई प्रयोग संपादित कराये जा सकेंगे अथवा उच्चतर इकाई के औसत उपज आंकड़े दावा गणना हेतु मान्य होंगे।

13 क्षति का मूल्यांकन/निर्धारण/भुगतान की प्रक्रिया :-

योजना के प्रावधानों के अनुसार फसल की क्षति का मूल्यांकन एवं क्षतिपूर्ति का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा-

(क) बुआई नहीं हो पाने /निष्फल होने/ रोपण बाधित होने की स्थिति में :-

यह आवरण केवल मुख्य फसल चना के लिए ही लागू होगा। फसल बोआई अवधि के दौरान अल्पवृष्टि, अतिवृष्टि एवं अन्य विपरित मौसम के कारण अधिसूचित क्षेत्र (ग्राम पंचायत) में अधिसूचित मुख्य फसल चना की 75% से अधिक बुआई नहीं हो पाने की स्थिति में बीमित राशि का अधिकतम 25% तक क्षतिपूर्ति के रूप में कृषकों को भुगतान किया जा सकेगा। इस घटक के अंतर्गत फसल चना की बुआई की अंतिम समय-सीमा 15 दिसंबर होगी।

उपरोक्त समयावधि में यदि किसी अधिसूचित बीमा इकाई में अधिसूचित प्रमुख फसल के बोवाई किये जाने वाले क्षेत्रफल में से 75% से अधिक क्षेत्रफल में बोवाई नहीं होती है ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के निर्धारण के

लिए मौसम के आंकड़े तथा प्रदेश में फसलों के क्षेत्र एवं उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध कराने हेतु नोडल एजेंसी राजस्व विभाग (भू-अभिलेख) के आंकड़ों को आधार माना जायेगा। इस घटक के अंतर्गत दावा भुगतान के पात्र वे कृषक ही होंगे जिनके प्रीमियम आपदा क्षेत्र निर्धारण संबंधी शासन द्वारा जारी आदेश/अधिसूचना से पूर्व जमा कर लिये गये हो अथवा उन्हें स्वीकृत ऋण से काट लिये गये हों। राज्य शासन द्वारा ऐसे प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना जारी की जायेगी जिसके आधार पर अधिसूचित क्षेत्र के बीमित कृषकों को अधिकतम 25% तक दावा भुगतान किया जावेगा। इस खण्ड के अधीन क्षतिपूर्ति देय होने के पश्चात बीमा आच्छादन को समाप्त माना जावेगा और प्रभावित बीमा इकाई/फसल मौसम के अंत में क्षेत्र उपज आधारित संगणित दावों के पात्र नहीं होंगे और न ही इन क्षेत्रों में प्रभावित अधिसूचित फसलों के लिये कोई नया पंजीयन किया जावेगा।

(ख) मौसम प्रतिकूलताओं के कारण फसल की मध्यावधि (बुआई से कटाई की समयावधि) में नुकसान होने की स्थिति में :- फसल की अवधि में प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा, शुष्क अवधि, बाढ़, जलप्लावन, कीट एवं व्याधि, भू-स्खलन, प्राकृतिक अग्नि दुर्घटनाओं एवं आकाशीय बिजली, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, आंधी, समुद्री तूफान, भंवर एवं बवंडर के कारण प्रभावित फसल की अनुमानित उपज, थ्रेसहोल्ड उपज से 50% से कम आना संभावित हो तो संभावित क्षतिपूर्ति का 25% तक दावा का भुगतान रबी मौसम के दौरान ही किया जा सकता है। यह क्षतिपूर्ति भुगतान की राशि अंतिम उपज आधारित क्षतिपूर्ति राशि के साथ समायोजित की जायेगी। यदि उक्त स्थिति अधिसूचना की परिशिष्ट- 4 में फसलवार उल्लेखित सामान्य फसल कटाई प्रारंभ होने के 15 दिनों के पूर्व होती है तो उपरोक्त शर्त लागू नहीं होगी।

इस तरह की क्षतिपूर्ति के निर्धारण के लिए मौसम के आंकड़े, सैटेलाइट इमेज एवं जिला कृषि/राजस्व पदाधिकारी द्वारा प्रेषित फसल अवस्था आंकड़े को आधार माना जाएगा। इस संबंध में दैनिक समाचार पत्रों के विवरणों पर भी विचार किया जावेगा। इस घटक के अंतर्गत दावा भुगतान के पात्र वे कृषक ही होंगे जिनके प्रीमियम आपदा क्षेत्र निर्धारण संबंधी शासन द्वारा जारी आदेश/अधिसूचना से पूर्व जमा कर लिये गये हो अथवा उनके स्वीकृत ऋण से काट लिये गये हो। राज्य शासन द्वारा प्रतिकूल मौसमीय आपदा घटित होने के 07 दिवस के भीतर प्रभावित इकाईयों की सूची एवं विवरण तथा इन्हें इस घटक के अंतर्गत पात्रता होने संबंधी आदेश पारित किया जायेगा तथा संयुक्त समिति द्वारा प्रतिकूल मौसमीय आपदा घटित होने के 15 दिवस के भीतर क्षति का आंकलन कर प्रतिवेदन दिया जायेगा जिसके आधार पर बीमा कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति देय होगी।

(ग) स्थानीय आपदाओं की स्थिति में :- स्थानीय जोखिमों यथा- ओलावृष्टि, भूस्खलन एवं जलप्लावन से अधिसूचित फसल में नुकसान होने की स्थिति में व्यक्तिगत बीमित कृषक को क्षति पूर्ति दिये जाने का प्रावधान है। यदि किसी प्रभावित इकाई में 25% से ज्यादा हानि होती है तो संयुक्त समिति द्वारा सैम्पल जांच कर उस इकाई में सभी बीमित कृषकों को क्षतिपूर्ति देय होगी। कृषक इसकी सूचना क्रियान्वयन बीमा कंपनी को सीधे टोल फ्री नंबर पर या लिखित रूप से अथवा स्थानीय राजस्व/कृषि अधिकारियों, संबंधित बैंक अथवा जिला कृषि पदाधिकारी/अनुविभागीय दंडाधिकारी/तहसीलदार को लिखित रूप से निर्धारित समय-सीमा 48 घंटे के भीतर बीमित फसल के ब्यौरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति के कारण सहित सूचित करेंगे।

हानि संबंधी सूचना मिलने पर क्रियान्वयन बीमा कंपनी फसल की हानि का अनुमान लगाने के लिए क्षेत्र में हानि निर्धारक (Loss Assessor) को भेजेगी तथा मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों के अनुसार क्षतिपूर्ति निर्धारित किया जाएगा। जिला विकासखण्ड स्तरीय कृषि/राजस्व विभाग के अधिकारी फसल क्षति का अनुमान लगाने में क्रियान्वयक बीमा कंपनी को उपयुक्त सहायता करेंगे। इस घटक के अंतर्गत अधिकतम

देय सहायता बीमित राशि के अध्याधीन प्रभावित क्षेत्र में आपदा घटित होने तक फसल की लागत के अनुपात में होगी। यदि फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर अधिसूचित क्षेत्र में दावा भुगतान स्थानीय क्षति-पूर्ति से अधिक निर्धारित होता है, तो दोनों में से जो भी दावा अधिक होगा, बीमित कृषक को देय होगा।

(घ) **फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए फैलाकर रखी हुई फसल में नुकसान होने की स्थिति में :-** फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए फैलाकर रखी हुई अधिसूचित फसल को प्राकृतिक आपदा यथा चक्रवात, चक्रवाती वर्षा एवं बेमौसम वर्षा से 25% से अधिक अधिसूचित क्षेत्र में फसलों को क्षति होती है तो ऐसी अवस्था में सेम्पल जांचकर सभी बीमित कृषकों को क्षति का भुगतान किया जावेगा। यदि 25% से कम अधिसूचित क्षेत्र में हानि होती है तो उन सभी प्रभावित बीमित कृषकों के नुकसान की जांच कर नियमानुसार क्षतिपूर्ति के पात्र घोषित की जायेगी जो कृषक इसकी सूचना क्रियान्वयन बीमा कंपनी को सीधे/टोल फ्री नंबर या लिखित रूप में अथवा स्थानीय राजस्व/कृषि अधिकारियों/संबंधित बैंक अथवा जिला कृषि पदाधिकारी/अनुविभागीय दंडाधिकारी/तहसीलदार को निर्धारित समय-सीमा 48 घंटे के भीतर लिखित रूप से बीमित फसल के ब्यौरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति के कारण सहित सूचित करेंगे। इस व्यवस्था के अंतर्गत क्राप कैलेण्डर (परिशिष्ट-4) में अंकित फसल कटाई की निर्धारित अंतिम तिथि से यदि कटी हुई अधिसूचित फसल, अधिकतम 14 दिनों तक सूखने के लिए फैलाकर रखी जाती है तो इसी अवधि तक के लिए ही उपरोक्त वर्णित कारणों से होने वाली क्षति का आंकलन किया जाएगा।

फसल क्षति संबंधी सूचना मिलने पर क्रियान्वयन बीमा कंपनी क्षति का आंकलन के लिए क्षेत्र में हानि निर्धारक (Loss Assessor) को भेजेगी तथा मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों के अनुसार क्षतिपूर्ति निर्धारित किया जाएगा। विकासखंड/जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति एवं संयुक्त समिति के सदस्यों एवं कृषक फसल क्षति का अनुमान लगाने में क्रियान्वयन बीमा कंपनी की उपयुक्त सहायता करेंगे। सांकेतिक सूचनाओं स्थानीय मिडिया रिपोर्टों, कृषि/राजस्व विभाग के रिपोर्टों को क्षति का आंकलन का आधार बनाया जाएगा।

(ङ) **फसल पैदावार के आधार पर व्यापक क्षति की स्थिति में :-** राज्य शासन फसल उत्पादन आंकलन के लिए अधिसूचित बीमा इकाई में प्रमुख फसल चना के लिए 04 प्रयोग तथा अन्य फसलों में 08 फसल कटाई प्रयोग भारत सरकार के मोबाईल एप "CCE Agri App" के माध्यम से संपादित करेगी। इस फसल कटाई प्रयोग से प्राप्त वास्तविक उपज के आधार पर क्षति की गणना की जायेगी।

थ्रेसहोल्ड उपज – वास्तविक उपज

देय क्षतिपूर्ति = $\frac{\text{थ्रेसहोल्ड उपज} - \text{वास्तविक उपज}}{\text{थ्रेसहोल्ड उपज}}$ X बीमित राशि

थ्रेसहोल्ड उपज

छ.ग. शासन या अन्य संस्थाओं द्वारा अन्य प्रयोजन हेतु किये जा रहे फसल कटाई प्रयोग के परिणाम (अनावारी, सूखाग्रस्त घोषित करने, आदि के उद्देश्य से पृथक से क्रियान्वित किये जाने वाले फसल कटाई प्रयोग) इस योजनान्तर्गत दावा भुगतान की गणना में मान्य नहीं होंगे। यथा संभव इसी योजना के अंतर्गत संपादित कराये जाने वाले फसल कटाई प्रयोग की श्रृंखला का ही उपयोग फसल बीमा की गणना के साथ ही फसल उत्पादकता के आंकड़े प्राप्त करने में भी किया जायेगा।

14. योजना के अनुसार क्षतिपूर्ति आंकलन हेतु संयुक्त समिति का गठन :-

योजनानुसार फसल मध्यावधि में नुकसान होने की स्थिति में क्षति का निर्धारण, स्थानीय आपदाओं की स्थिति में क्षति का निर्धारण एवं फसल कटाई के उपरांत खेत में सूखाने के लिए फैलाकर रखी हुई फसल में नुकसान होने की स्थिति में क्षति आंकलन हेतु शासन द्वारा खरीफ 2016 में योजनांतर्गत गठित जिला एवं तहसील स्तरीय संयुक्त समिति ही अधिकृत होगी।

15. मौसम केन्द्रों की जानकारी :-

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्रदेश के तहसील/विकासखंडों में वर्षामापी यंत्र स्थापित है जिसके दैनिक वर्षा के आंकड़े नियमित प्राप्त होते हैं। योजनान्तर्गत क्षतिपूर्ति निर्धारण हेतु इन आंकड़ों को मान्य किया जाना है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के वर्षामापी यंत्र बंद या खराब होने की स्थिति में जिले में केन्द्रीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा स्थापित वर्षामापी यंत्र के आंकड़े स्वीकार किये जायेंगे।

16. बीमित फसल में परिवर्तन/बदलाव का विकल्प:-

कृषक द्वारा अधिसूचित फसल के लिए ऐच्छिक आधार पर लिये गये बीमा आवरण में फसल के नाम बदलाव की इच्छा होने पर ऐसा किया जा सकता है, किन्तु ऐसा ऋणी एवं अऋणी कृषकों से प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु अंतिम तिथि के 30 दिवस पूर्व अर्थात् 01 दिसम्बर 2017 तक ही संबंधित वित्तीय संस्था/अधिकृत बीमाकर्ता (जैसी भी स्थिति हो) के माध्यम से बीमा कंपनी को लिखित रूप में तथा बोनी प्रमाण पत्र (जो बीमा इकाई स्तर पर अधिकृत राजस्व कर्मचारी (राजस्व पटवारी) अथवा इससे उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा अन्य फसल की बोनी करने संबंधी जारी प्रमाण पत्र हो) के साथ उपलब्ध कराने पर ही मान्य होगा। यह विकल्प केवल उन्हीं कृषकों को होगा, जिन्होंने फसल बीमा हेतु प्रीमियम राशि जमा कर दी है।

ऋणी कृषक भी फसल परिवर्तन कर सकते हैं तथा उन्हें इस संबंध में संबंधित बैंक को प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु अंतिम तिथि के 30 दिवस पूर्व अर्थात् 01 दिसम्बर 2017 तक लिखित में सूचित करना होगा, ताकि उसके बीमा प्रस्ताव में आवश्यक संशोधन किया जा सके। किन्तु गैर अधिसूचित फसल को यदि अधिसूचित फसल में परिवर्तित करना चाहते हैं, तो ऐच्छिक आधार पर बीमा कराने वाले कृषकों के अनुरूप बीमा इकाई से संबंधित राजस्व अधिकारी द्वारा दूसरी फसल बोनी करने संबंधी प्रमाण-पत्र बैंक को आवश्यक संशोधन हेतु उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, जिसके लिये समय-सीमा उपरोक्तानुसार ही होगी।

17. बीमा कंपनी तथा संबंधित वित्तीय संस्थाओं द्वारा देय दावा भुगतान का कृषकों के खाते में समायोजन की समय-सीमा :-

(क) बुआई नहीं हो पाने/बुवाई विफल होने की स्थिति में :- कियान्वयक बीमा कंपनी को केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा प्रीमियम अंश प्राप्त होने की स्थिति में, राज्य शासन द्वारा प्रभावित क्षेत्र घोषित किये जाने संबंधी अधिसूचना/आदेश पारित होने की तिथि के 30 दिवस के भीतर कृषकों के खाते में जमा कराई जाएगी।

(ख) फसल मध्यावधि में नुकसान होने की स्थिति में :- कियान्वयक बीमा कंपनी को केन्द्र एवं राज्य शासन से प्रीमियम अनुदान प्राप्त होने की स्थिति में, राज्य शासन द्वारा आपदा क्षेत्र घोषित किये जाने संबंधी पारित आदेश के 01 माह के भीतर कृषकों के खाते में समायोजित की जायेगी।

(ग) स्थानीय आपदाओं के मामले में :- संयुक्त समिति जिसमें बीमा कंपनी के हानि निर्धारक (Loss Assessor) भी सम्मिलित हो द्वारा क्षति आंकलन संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के 15 दिवस के भीतर कृषकों के खाते में अंतरित की जायेगी (केन्द्र एवं राज्य शासन से प्रीमियम अंश प्राप्त होने की स्थिति में)।

- (घ) फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए फैलाकर रखी हुई फसल में नुकसान होने की स्थिति में :- संयुक्त समिति जिसमें बीमा कंपनी के हानि निर्धारक (Loss Assessor) भी सम्मिलित हो द्वारा क्षति आंकलन संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के 15 दिवस के भीतर कृषकों के खाते में समायोजित की जावेगी (केन्द्र एवं राज्य शासन से प्रीमियम अंश प्राप्त होने की स्थिति में)।
- (ङ) फसल उत्पादन के आधार पर व्यापक क्षतिपूर्ति :- बीमा कंपनी द्वारा संबंधित फसल के उपज आंकड़े प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर देय दावा भुगतान की राशि संबंधित वित्तीय संस्था को प्रदान की जावेगी तथा वित्तीय संस्था द्वारा एक सप्ताह के अंदर धनराशि पात्र कृषकों के खाते में समायोजित कर 15 दिन के अंदर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित बीमा कंपनी को प्रस्तुत करेगी।
18. क्रियान्वयन बीमा कंपनी द्वारा हानि निर्धारकों (Loss Assessor) की नियुक्ति :- चयनित बीमा कंपनी द्वारा योजना क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत विभिन्न क्षति जिनका विवरण बिन्दु क्रमांक-13 एवं 17 में दिया गया है, हेतु आवश्यक शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव रखने वाले क्षति निर्धारकों की नियुक्ति आवश्यक रूप से की जायेगी तथा इसकी सूचना राज्य शासन को दी जायेगी।
19. बैंक कमीशन एवं शुल्क :- क्रियान्वयक बीमा कंपनी द्वारा सभी बैंकों को ऋणी एवं अऋणी कृषकों का बीमा करने के लिए योजनांतर्गत निर्धारित दर कृषकों से प्राप्त प्रीमियम का 4 प्रतिशत रबी मौसम समाप्ति के पश्चात् प्रदान किया जावेगा।
20. बीमा कंपनी द्वारा बैंको से प्राप्त सभी घोषणा पत्र/प्रीमियम राशि की पावती संबंधित बैंक शाखाओं को उपलब्ध कराई जाएगी एवं किसी भी त्रुटि/अंतर/विसंगति अवलोकित होने पर इसकी सूचना संबंधित बैंक को तत्काल दिया जाएगा। बीमा कंपनी द्वारा वित्तीय संस्था से उक्त विसंगतियों के निराकरण हेतु दस्तावेज/जानकारी अधिकतम 25 जनवरी तक ही स्वीकार किये जायेंगे। यदि वित्तीय संस्था द्वारा नियत समय-सीमा में जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध नहीं करायी जाती है, तो बीमा कंपनी द्वारा संबंधित प्रीमियम राशि तीन सप्ताह के भीतर बैंकों को अनिवार्य रूप से वापस किया जाना होगा, अन्यथा कृषकों को नियमानुसार दावा प्रतिपूर्ति का सम्पूर्ण दायित्व बीमा कंपनी की होगी।
21. भारत सरकार द्वारा योजना क्रियान्वयन की जारी दिशा-निर्देश, इनमें विभिन्न कार्यों हेतु अंकित समय-सीमा, कार्य की पद्धति, ऑनलाईन की जाने वाली जानकारियों को अपलोड किये जाने का दायित्व क्रियान्वयन बीमा कंपनी, वित्तीय संस्था एवं संचालनालय कृषि का होगा तथा इस हेतु पृथक से आदेश जारी नहीं किये जायेंगे।
22. योजनांतर्गत गठित जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति द्वारा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा तथा इस योजना के संचालन की प्रति माह समीक्षा कर प्रगति प्रतिवेदन संचालक कृषि को उपलब्ध कराया जायेगा।
23. क्रियान्वयक बीमा कंपनी द्वारा आबंटित जिलों के प्रत्येक तहसील पर क्रियाशील कार्यालय स्थापित किया जावेगा तथा प्रत्येक विकासखण्ड में एक एजेंट नियुक्त किया जावेगा। इसकी विधिवत सूचना सभी संबंधित संस्था/विभाग को दिया जावेगा।
24. क्रियान्वयक अभिकरण द्वारा पूर्ण परीक्षण उपरांत राज्यांश राशि की मांग हेतु प्रस्ताव संचालक कृषि को प्रस्तुत किया जावेगा एवं राज्यांश की मांग के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जायेगा कि प्रस्तुत की जा रही मांग संबंधित मौसम में अधिसूचित क्षेत्र में फसल के लिए निर्धारित प्रीमियम दर पर प्रस्तुत की जा रही है। बीमा कंपनी से प्राप्त प्रस्ताव को संचालनालय कृषि स्तर पर विस्तृत परीक्षण उपरांत राज्यांश राशि के भुगतान हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाएगा।

- 25 किन्त्यावयक बीमा कंपनी द्वारा अंतिम उपज के आधार पर प्रस्तावित बीमा दावा के गणना की जानकारी संचालनालय कृषि, छ.ग. को प्रस्तुत करने के उपरांत बीमा कंपनी को प्रीमियम अनुदान (राज्यांश) की अंतिम किस्त का भुगतान किया जावेगा।
- 26 अधिसूचित फसलों हेतु अधिसूचित बीमा इकाई में योजनांतर्गत फसल क्षति आंकलन के लिए आयुक्त भू-अभिलेख, (नोडल कार्यालय, फसल कटाई प्रयोग) द्वारा शत-प्रतिशत फसल कटाई प्रयोग का आयोजन मोबाईल एप (CCE Agri App) के माध्यम से सुनिश्चित की जावेगी।
- 27 भारत सरकार स्तर से क्रियान्वयन अभिकरण को De-Empanelled किया जाता है अथवा फसल बीमा योजना के प्रावधानों में संशोधन किये जाते हैं, तो तदनुसार क्रियान्वयन अभिकरण के निर्धारित दायित्व एवं अधिसूचना को संशोधित/निरस्त किया जा सकता है।

28. यूनिफाइड पैकेज इश्योरेंस स्कीम (UPIS) :- भारत सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार यूनिफाइड पैकेज इश्योरेंस स्कीम (UPIS) के पायलट आधार पर क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के राजनांदगांव एवं बस्तर जिलों का चयन किया गया है। इस योजना का क्रियान्वयन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में चयनित बीमा कंपनी एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बस्तर जिला में (जो क्लस्टर 1 में एल-1 है) एवं बजाज जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा राजनांदगांव जिला में (जो क्लस्टर 3 में एल-1 है) किया जाएगा।

UPIS अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का चयन अनिवार्य है। कृषकों को शेष प्रयोजनों में से कम से कम किन्हीं दो प्रयोजनों का चयन करना होगा एवं इसका चयन नहीं करने पर किसान को घोषणा-पत्र द्वारा यह सूचित करना होगा कि उसके द्वारा पूर्व से किसी अन्य बीमा एजेंसी से यह लाभ लिया जा रहा है। योजना अंतर्गत फसल बीमा के अलावा शेष सभी प्रयोजनों में कवरेज एक साल के लिये माना जावेगा।

UPIS अन्तर्गत सम्मिलित प्रयोजनों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	प्रयोजन	बीमित राशि(रु.)	प्रीमियम राशि
1	(अ) भवन (आगजनी तथा संबंधित जोखिम)	50,000	रु. 40/- (जी.एस.टी. अतिरिक्त)
	(ब) वस्तु बीमा	20,000	रु. 20/- (जी.एस.टी. अतिरिक्त)
2	व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा	2,00,000	रु. 12/- प्रति व्यक्ति
3	कृषि पंप सेट बीमा (10 हार्स पाँवर तक)	25,000	रु. 438/- (जी.एस.टी. अतिरिक्त)
4	कृषि ट्रैक्टर बीमा	ट्रैक्टर के बीमित राशि एवं प्रीमियम राशि का निर्धारण IRDAI द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर ट्रैक्टर की उम्र एवं इसके साथ ट्राली होने अथवा नहीं होने को ध्यान में रखते हुये किया जावेगा तथा इस संबंध में संपूर्ण विवरण बीमाकर्ता कंपनी के द्वारा कृषक को उपलब्ध कराया जायेगा।	
5	विद्यार्थी सुरक्षा बीमा-		
	(अ) दुर्घटना से मृत्यु	50,000	रु. 75/- प्रति विद्यार्थी (जी.एस.टी. अतिरिक्त)
	(ब) पूर्ण दिव्यांगता	50,000	
	(स) एक आंख एवं कान क्षतिग्रस्त होने पर	25,000	
(द) दुर्घटना से अस्पताल में भर्ती होने पर	5,000		
6	जीवन बीमा	2,00,000	रु. 330/- प्रति व्यक्ति (जी.एस.टी. अतिरिक्त)

29. इस अधिसूचना में जिन नियमों का उल्लेख नहीं है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना/यूनिफाईड पैकेज इश्योरेस स्कीम (UPIS) की मार्गदर्शिका में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सभी के लिए बंधनकारी होगा तथा किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका एवं समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश व इसमें उल्लेखित सर्वोच्च संस्थाओं का निर्णय सर्वमान्य होगा।
30. यह अधिसूचना दिनांक 01.10.2017 से प्रभावी मानी जावेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के.सी.पैकरा)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग

रायपुर दिनांक 21/11/2017

पृ.क्र./8646/एफ-8/68/PMFBY/2017/14-2

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, छ.ग. शासन।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, कृषि, पशुधन विकास, मत्स्यपालन, जल संसाधन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, छ.ग. शासन।
3. सचिव, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग,
4. उपसचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छ.ग. शासन।
5. स्टॉफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, छ.ग. शासन।
6. प्रमुख सचिव/सचिव, छ.ग. शासन, वित्त/राजस्व एवं आपदा प्रबंधन/सहकारिता/कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग।
7. पंजीयक, सहकारी संस्थायें, छ.ग. रायपुर।
8. संचालक कृषि/संस्थागत वित्त/भू-अभिलेख/उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी/आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग/जनसंपर्क विभाग, छ.ग. रायपुर।
9. महानिदेशक, छ.ग. राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, रायपुर।
10. कलेक्टर, जिला- (समस्त), छत्तीसगढ़।
11. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी (अपेक्स) बैंक, रायपुर।
12. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी, बैरन बाजार, रायपुर।
13. महाप्रबंधक, छ.ग. राज्य ग्रामीण बैंक, रायपुर।
14. निदेशक, केन्द्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र, लालपुर, रायपुर।
15. संचालक, अनुसंधान सेवाएं, इं.गां.कृ.वि.वि., रायपुर।
16. निदेशक, विस्तार सेवाएं, इं.गां.कृ.वि.वि., रायपुर।
17. तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, छ.ग., रायपुर।
18. संयुक्त संचालक कृषि, संभाग- (समस्त), छत्तीसगढ़।
19. क्षेत्रीय प्रबंधक, नाबार्ड, रायपुर।
20. उप नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर उक्त अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
21. उप संचालक कृषि, जिला- (समस्त), छत्तीसगढ़।
22. क्षेत्रीय प्रबंधक, एग्रीकल्चर इश्योरेस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, पंडरी रायपुर।
23. क्षेत्रीय प्रबंधक, बजाज एलायंस जनरल इश्योरेस कं. लि., रायपुर।

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग